



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2008/आश्विन 1, 1930

No. 153]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2008/ASVINA 1, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2008

सं. भाराराम्रा फा. सं. 11012/46/2005-प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2008 होंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 के विनियम 5 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) जहाँ पार्ष्वक प्रतियोगी के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति की जाती है न कि आमेसन के माध्यम से, उसमें अभ्यर्थियों का चयन करते समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्राप्त अनुभव को महत्व दिया जाएगा। ऐसा कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुका है और वह अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद के लिए पार्ष्वक प्रतियोगी के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए आवेदन करता है तो सीधी भर्ती के लिए अनुसूची के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट आय-सीमा उतने वर्ष बढ़ा दी जाएगी जितने वर्ष उस अधिकारी अथवा कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सेवा की है, बशर्ते कि उस अधिकारी अथवा कर्मचारी की इस प्रकार से बढ़ाई गई आय-सीमा उस वर्ष की पहली जनवरी को 56 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी जिस वर्ष में उस अधिकारी अथवा कर्मचारी जिस पर पार्ष्वक प्रतियोगी के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए विचार किया जा रहा है”।

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/असा./122/08]

पाद टिप्पणी : मूल विनियामकी संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या भाराप्र/11011/02/2008- प्रशासन, तारीख 2 जुलाई, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2008

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2008

No. NHAI F. No. 11012/46/2005-Admn. —In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely :—

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 5 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

“(3) Where recruitment is made by the method of direct recruitment through lateral entry and not through absorption, experience gained in NHAI shall be given weightage in the selection of candidates. The age limit for direct recruitment specified in column 6 of the Schedule, in the case of an officer or employee who is, or has been, on deputation to NHAI and applies for direct recruitment through lateral entry to a post specified in column 1 of the Schedule shall be increased by the number of years such officer or employee has served NHAI, subject to the condition that the age limit so increased shall not be more than 56 years of age as on the 1st day of January of the year in which such officer or employee is being considered for direct recruitment through lateral entry”.

K. S. MONEY, Member (Administration)

[ADVT/III/4/Ext./122/08]

Foot note : The principal regulations were published *vide* Notification No. NHAR-12011/1/95-Admn., dated the 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 and last amended *vide* Notification No. NHAI/11011/02/2008-Admn., dated the 2nd July, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.